प्रकरण संख्या 65/19 RCMS ID-2019/00251 ता0रजू 21.10.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

मानसिंह पुत्र सन्नूराम जाति माली आयु 39 साल निवासी अस्थल तहसील व जिला करौली राज. उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत मामचारी तहसील व जिला करौली राज. — अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी करौली — रेस्पोण्डेण्ट

<u>अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय जिला रसद अधिकारी करौली विविध प्रकरण संख्या 153/2019 सरकार बनाम मानसिंह निर्णय दिनांक 06.08.2019 अपील अंतर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976</u>

निर्णय

दिनांक 27.11.2019

यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा मय जांच दल दिनांक 18.04.2019 को अपीलार्थी की राशन दुकान की जांच की गई। वक्त जांच अपीलार्थी द्वारा स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं करवाना, स्टॉक रजिस्टर मौके पर मौजूद नहीं होना, 4.51 क्विं. गेंहूं, 240.2 किलोग्राम चीनी एवं 1319 लीटर केरोसीन का दुरुपयोग करना पाया जाने पर आदेश दिनांक 06.08.2019 द्वारा अपीलार्थी का राशन प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अदालत मातहत ने पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं जवाब को गौर ना कर निर्णय करने में भूल की है। प्रार्थी को थोक विक्रेता द्वारा माह सितंबर 2018 में 1.91 क्विं. गेंहूं कम दिया गया था तथा जनवरी 2019 में 1.40 क्विं. गेंहूं कम दिया गया था तथा माह मार्च 2019 में 1.20 क्विं. गेंहूं कम दिया गया था। इसी प्रकार अपीलार्थी द्वारा गेंहूं का वितरण किया था जो अपीलार्थी के रिकॉर्ड में दर्ज है। चीनी का स्टॉक 58.900 किलोग्राम मौजूद था जो अपीलार्थी के खाते में ऑनलाइन डला हुआ है। अपीलार्थी की पोस मशीन में 7 लीटर केरोसीन मौजूद है जो अपीलार्थी की मशीन व स्टॉक में है। बाकी अपीलार्थी ने वितरण कर दिया था जो ऑन लाइन है। अपीलार्थी का स्टॉक व रिकॉर्ड ऑनलाइन सही है। स्टॉक रजिस्टर अपीलार्थी के पास वक्त चैकिंग मौजूद था जो अपीलार्थी से नहीं मांगा गया था। अपीलाण्ट ने कोई गलती नहीं की है। निर्णय अदालत मातहत दिनांक 06.08.2019 का है जिसकी नकल का प्रार्थना पत्र दिनांक 22.08.2019 को पेश करने पर नकल दिनांक 28.08.2019 को प्राप्त हुई। अपीलार्थी की पत्नि माया दिनांक 25.08.2019 से पेट की बीमारी से गंभीर रूप से ग्रसित थी जिसके लिए अपीलार्थी इधर–उधर इलाज हेतु बाहर जयपुर चला गया था। अब पत्नि के ठीक होने पर अब अपील मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत की है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

प्रवर्तन निरीक्षक पैरोकार सरकार ने बहस में कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा मय टीम दिनांक 18.04.2019 को अपीलार्थी की राशन

दुकान का निरीक्षण किया था। मौके पर स्टॉक रजिस्टर नहीं पाये गये। अपीलार्थी ने स्टॉक रजिस्टर को करौली होना बताया। मौके पर 84 क्विं. गेंहू, 60.9 किलो चीनी एवं 00 (शून्य) लीटर केरोसीन पाया गया। पोस मशीन में 19.41 क्विं. गेंहू, 60.9 किलो चीनी एवं 31 लीटर केरोसीन दर्ज पाया गया। माह अप्रैल 2019 के चालान अनुसार अपीलार्थी के अप्रैल में वक्त जांच तक 69.10 क्विं. गेंहू की आमद हुई है जो पोस मशीन में अपडेट नहीं हुआ है। कार्यालय रिकॉर्ड, थोक विक्रेता द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं ऑनलाइन वितरण के आधार पर ऑडिट करने पर पाया कि अपीलार्थी के पास वक्त जांच 88.51 क्विं. गेंहू, 3.11 क्विं. चीनी एवं 1319 लीटर केरोसीन स्टॉक में मौजूद होना चाहिये था। इस प्रकार अपीलार्थी राशन डीलर के पास 4.51 क्विं. गेंहू, 240.2 किलोग्राम चीनी एवं 1319 लीटर केरोसीन कम पाया गया जिसका अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा दुरुपयोग किया गया है। उक्त अनियमितताओं के आधार पर अपीलार्थी राशन डीलर कर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जो विधि सम्मत् है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया तो पाया गया है कि जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा यम जांच दल दिनांक 18.04.2019 को अपीलार्थी की राशन दुकान का निरीक्षण किया गया था। वक्त जांच अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा स्टॉक रजिस्टरों को करौली होना बताया है। कार्यालय रिकॉर्ड, थोक विक्रेता द्वारा प्रस्तुत मासिक रिटर्न एवं ऑनलाइन वितरण के आधार पर अपीलार्थी की दुकान की जांच करने पर पाया कि वक्त जांच अपीलार्थी की दुकान पर 88.51 क्विं. गेंहू, 3.11 क्विं. चीनी एवं 1319 लीटर केरोसीन उपलब्ध होना चाहिये था लेकिन दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर पाया कि दुकान में 84 क्विं. गेंहू, 60.19 किलो चीनी एवं केरोसीन 00(शून्य) लीटर था। इस प्रकार अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान पर वक्त जांच 4.51 क्विं. गेंहू, 242.2 किलोग्राम चीनी एवं 1319 लीटर केरोसीन कम पाया गया जिसका अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा दुरुपायोग किया जाना विदित होता है जो गंभीर अनियमितताएं हैं। स्टॉक रजिस्टर करौली होना एवं दुकान पर पाया गया स्टॉक अपीलार्थी द्वारा निरीक्षण प्रपत्र पर किये गये हस्ताक्षरों से स्पष्ट है। इसलिए मैं जिला रसद अधिकारी करौली के निर्णय में किसी प्रकार का परिवर्तन करना उचित नही समझता हूं।

अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन, तथ्यहीन होने के कारण खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी करौली का निर्णय दिनांक 06.08.2019 यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी करौली को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2019.12.06 17:16:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: